स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट

निदेशक मंडल
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली

1. हमने 5 जुलाई 2016 को सेबी के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/एफएसी/62/2016 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) के विनियम 33 के अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की ओर से जमा किए जा रहे यहाँ संलग्न ("विवरण") 31 दिसंबर 2018 ("विवरण") को समाप्त तिमाही और नौमाह के लिए **हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी")** के अलेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों के संगत एकल विवरण की समीक्षा की हैं। यह विवरण कंपनी के प्रबंधकों की जिम्मेदारी है और इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133 में निर्दिष्ट भारतीय लेखागणना मानक (इंड-एएस) के अनुपालन में तैयार किया गया है । हमारा दायित्व हमारी समीक्षा पर आधारित इन अलेखा-परीक्षित एकल विवरणों पर एक रिपोर्ट जारी करना है ।

2. हमने कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 10 में निर्दिष्ट "संस्था के स्वतंत्र लेखापरीक्षक की ओर से प्रस्तुत अंतरिम वित्तीय सूचना की समीक्षा", समीक्षा प्रक्रियाओं पर मानकों (एसआरई) 2410 के अनुपालन में समीक्षा की है । इस मानक के लिए यह अपेक्षित है कि हम योजनाबद्ध तरीके से समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय विवरणों में वस्तुगत त्रुटि नहीं है । समीक्षा प्रमुख रूप से कंपनी के कार्मिकों तथा वित्तीय आंकड़ों पर लागू विश्लेषणीय प्रक्रियाओं की जांच तक ही सीमित है एवं इसलिए यह समीक्षा लेखापरीक्षा की तुलना में कम आश्वासन-योग्य है । हमने कोई लेखापरीक्षा नहीं की हैं तथा तदनुसार, हम लेखापरीक्षा पर राय व्यक्त नहीं करते हैं ।

3. उपरोक्तानुसार बनाई गई हमारी समीक्षा के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है, जिससे यह विश्वास किया जा सके कि कंपनी अधिनियम 2013 इस के अंतर्गत जारी नियमों के साथ पठित इसकी धारा 133 में निर्दिष्ट लागू भारतीय लेखागणना मानकों ('इंड-एएस') में बनाए गया मान्यता एवं गणना सिद्धांतों तथा अन्य मान्यता प्राप्त लेखागणना प्रक्रिया और नीतियों के अनुसार तैयार किये गये अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के संगत एकल विवरण में, 5 जुलाई 2016 को सेबी के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/एफएसी/62/2016 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियम 33 की शर्तों पर प्रकट की जाने वाली सूचनाओं, जिस प्रकार से प्रकट किया जाना हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है या इसमें कोई वस्तुगत त्रुटि समाहित हैं ।

4. विवरण में शामिल 31 दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही तथा नौमाह की कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय सूचना को इंड-एएस के अनुपालन में पुनर्कथित कंपनी विनियम (लेखागणना मानक) 2006 के अनुरूप तैयार किया गया है एवं यह तुलनात्मक वित्तीय सूचना के रूप में विवरण में शामिल है। तदनुसार, पूर्व में जारी वित्तीय सूचना में किये गये समायोजनों को केवल हमारे द्वारा समीक्षित इंड-एएस के अनुपालन में कंपनी विनियम (लेखागणना मानक) 2006 के अनुरूप तैयार किया गया हैं ।

प्रेम गुप्ता एंड कम्पनी के लिए एवं उनकी ओर से
चार्टेड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000425N

प्रेम बिहारी गुप्ता
(साझीदार)
सदस्यता सं. 080245

दिनांक : 21 जनवरी, 2019
स्थान : नई दिल्ली

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको)

(भारत सरकार का उपक्रम) सीआईएन:L74899DL1970GOI005276,जीआईएसटीएन:07AAACH0632A1ZF, वेबसाइट% www.hudco.org

पंजीकृत कार्यालय: हडको भवन, कोर 7ए, इंडिया हैबीटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

(रू. करोड़ में)

31 दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही तथा नौमाह के अलेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों (समीक्षित) का विवरण

क्र.सं	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौमाह	
		31 दिसंबर., 2018	30 सित, 2018	31 दिसंबर., 2017	31 दिसंबर., 2018	31 दिसंबर., 2017
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)
	आय					
	प्रचालन से राजस्व					
1	ब्याज आय	1,284.20	1,186.77	1,066.17	4,001.80	2,907.01
2	लाभांश आय	0.01	3.15	0.02	3.16	3.16
3	किराया आय	7.52	7.27	9.05	21.77	27.43
4	फीस तथा कमीशन आय	18.80	27.19	0.05	46.07	3.71
5	अंकित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ	-	-	-	-	-
I	**प्रचालन से कुल राजस्व**	**1,310.53**	**1,224.38**	**1,075.29**	**4,072.80**	**2,941.31**
II	**अन्य आय**	9.12	8.72	27.04	25.07	60.97
III	**कुल आय (I+ II)**	**1,319.65**	**1,233.10**	**1,102.33**	**4,097.87**	**3,002.28**
	व्यय					
1	वित्त लागत	680.13	685.32	564.12	2,148.72	1,624.88
2	फीस तथा कमीशन व्यय	0.45	1.65	2.68	5.68	5.90
3	अंकित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध हानि	31.73	54.09	7.44	16.85	4.89
4	वित्तीय साधनों और बट्टे खाते पर क्षति	0.54	2.68	84.39	251.24	286.36
5	कर्मचारी लाभ व्यय	50.37	44.52	46.21	171.18	122.12
6	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	1.31	1.28	1.57	3.82	4.07
7	अन्य व्यय	20.73	21.26	12.54	46.41	36.25
IV	**कुल खर्च**	**785.26**	**810.80**	**718.95**	**2,643.90**	**2,084.47**
V	कर पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)	**534.39**	**422.30**	**383.38**	**1,453.97**	**917.81**
	कर व्यय					
1	चालू कर व्यय	150.45	126.38	124.41	459.55	318.42
2	आस्थगित कर व्यय (क्रेडिट)	55.68	13.78	0.29	50.64	-87.26
VI	**कुल कर व्यय**	**206.13**	**140.16**	**124.70**	**510.19**	**231.16**
VII	**अवधि/वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (V- VI)**	**328.26**	**282.14**	**258.68**	**943.78**	**686.65**
VIII	**अन्य व्यापक आय**					
	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा					
(i)	परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि की पुन: गणना	-6.47	-10.14	-	-6.31	-
(ii)	उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगी	2.32	3.54	-	2.26	-
	कुल अन्य व्यापक आय	**-4.15**	**-6.60**	**-**	**-4.05**	**-**
IX	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय(VII+VIII)**	**324.11**	**275.54**	**258.68**	**939.73**	**686.65**
X	**प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य 10/-रु प्रति) #**		-	-		

1	**मूल**	**1.64**	**1.41**	**1.29**	**4.71**	**3.43**
2	अवमिश्रित	**1.64**	**1.41**	**1.29**	**4.71**	**3.43**
XI	**प्रदत्त साम्य शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/-रु प्रति)**	**2,001.90**	**2,001.90**	**2,001.90**	**2,001.90**	**2,001.90**
	# वार्षिक नहीं					
	वित्तीय परिणामों के लिए टिप्पणियाँ					
1	कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 को प्रभावी अंतरण की तिथि तथा 1 अप्रैल 2018 से कंपनी (भारतीय लेखागणना मानकों) नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखागणना मानकों (इंड-एएस) को अपनाया है। यह अंतरण राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) (पूर्व-जीएएपी के अनुसार समग्र रूप से संदर्भित) द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा उसमे निर्दिष्ट जारी सम्बद्ध नियमों के साथ पठित अधिनियम में अधिसूचित पूर्व - लेखागणना मानकों से किया गया । तदनुसार, 1 अप्रैल 2017 के आरंभिक रिज़र्व में अंतरण का प्रभाव दर्ज किया गया । इन परिणामों के संगत आंकडें को इंड-एएस के लिए विधिवत पुनर्कथित सम्बद्ध अवधि से पूर्व-जीएएपी के अंतर्गत पहले से ही प्रकाशित परिणामों के आधार पर तैयार किया गया है । इन इंड-एएस समायोजनों(अर्थात 31 दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही/नौमाह के लिए) की समीक्षा सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने की ।					
2	ये वित्तीय परिणाम 16 फरवरी 2015 तथा 30 मार्च 2016 की एमसीए अधिसूचना क्रमश: जी.एस.आर. 111 (ई) तथा जी.एस.आर. 365 (ई) पर आधारित कम्पनी पर लागू इंडएएस के आधार पर बनाए गये हैं । एनएचबी या अन्य विनियामकों की ओर से जारी दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों को उनके जारी/लागू होने से ही अपनाया/क्रियान्वित किया गया है । परिणामों को 11 अक्टूबर 2018 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से जारी अधिसूचना जी.एस.आर. 1022(ई) के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अनुसूची III के आधार पर तैयार किया गया हैं ।					
3	लेखा-परीक्षा समिति ने 31 दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही/नौमाह के उपरोक्त एकल अलेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा की तथा तदुपरांत इन्हेंsa 21 जनवरी, 2019 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया । 31 दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही/नौमाह के इन अलेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अर्हताएं) विनियमन 2015 की अनिवार्यताओं के अनुपालन में कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने भी की है ।					
4	इंड-एएस -101 के पैराग्राफ 32 की अपेक्षानुसार, विगत जीएएपी एवं इंड-एएस के अंतर्गत रिपोर्टेड आंकड़ो तथा शुद्ध कर के बीच का शुद्ध लाभ मिलान नीचे दिया गया है :-					

	(रू. करोड़ में)	
	समाप्त तिमाही	समाप्त नौमाह
विवरण	**31.12.2017**	**31.12.2017**
विगत जीएएपी के अनुसार शुद्ध लाभ	163.59	576.54
जोड़कर/(घटाकर) : इंड-एएस के अनुसार समायोजन :		
- क्रेडिट क्षति ऋणों की परिशोधित लागत/शुद्ध ब्याज पर मान्यता-प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं के लिए प्रभावी ब्याज दर पर समायोजन	-1.88	-0.41
- निवेश के लिए अंकित मूल्य	0.13	3.13
- अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान पर समायोजन	147.31	164.20
- व्युत्पन्न लेखागणना का प्रभाव	-0.31	-0.13
- अन्य	0.12	0.49
- उपरोक्त समायोजन पर आस्थगित कर प्रभाव	-50.28	-57.17
इंड-एएस के अनुसार कर उपरान्त शुद्ध लाभ	**258.68**	**686.65**
अन्य व्यापक आय (शुद्ध कर)	-	-
इंड-एएस के अनुसार कुल व्यापक आय (शुद्ध कर)	**258.68**	**686.65**

5	कंपनी में “प्रचालन खंड” पर भारतीय लेखागणना मानक (इंडएएस-108) की शर्तों के अनुसार अलग से रिपोर्ट योग्य खंड नहीं है ।
6	ऋण परिसंपत्ति के रूप में शुद्ध एनपीए 31 दिसंबर, 2017 तक 2.81% (इंड-एएस समायोजन के बाद) तथा 31 दिसंबर, 2018 तक 0.80% है।

7	दिनांक 10 अक्टूबर 2018 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार ने, अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 में एमओएचयूए के अंतर्गत प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई-यू) के लिए फण्ड जुटाने लिए हडको को प्राधिकृत किया एवं एमओएचयूए से, ऋण लेने तथा पीएमएवाई-यू में निर्दिष्ट केन्द्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता के रूप में ऋण राशि संवितरित करने वाली संस्था के रूप में मान्यता-प्राप्त, एमओएचयूए की स्वायत्त संस्था, निर्माण सामग्री एवं प्रोद्योगिकी प्रोत्साहन परिषद् को ऋण देने के लिए भी हडको को प्राधिकृत किया । तदनुसार, हडको ने 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त तिमाही के दौरान, क्रमश: 3,000 करोड़ रू. तथा 2,050 करोड़ रू की दो ट्रेन्चों में लागू विनियामकों के अनुसार स्वीकार्य अधिकतम सीमा तक अर्थात कुल 5,050 करोड़ रू. के भारत सरकार के पूर्ण सेवारत बॉण्ड्स जुटाए तथा बीएमटीपीसी को ऋण देने के रूप में राशि का संवितरण किया गया । साथ ही, बीएमटीपीसी की अग्रिम सीमा/ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने उधार केन्द्रित शर्तों में छूट से संबंधित मामले पर काम किया गया तथा दिनांक 17 जनवरी 2019 के एनएचबी के पत्र के माध्यम से, बीएमटीपीसी को इसकी एनओएफ की 100% की अधिकतम सीमा तक, हडको की उधार केन्द्रित शर्तों (सरकारी/सार्वजानिक एजेंसियों की वैयक्तिक उधार सीमा के अंतर्गत) में छूट प्रदान की गई ।
8	शहरी विकास मंत्रालय (अब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) की ओर से एक एजेंट के रूप में हडको द्वारा निष्पादित की जा रही एंड्रयूजगंज परियोजना के संबंध में, हडको को लीज पर दी हुई संपत्ति पर हडको का कोई अधिकार या हित नहीं है । इस परियोजना के मामले में किसी भी व्यय या देयता, यदि कोई है, को हडको में बने नो लियन एजीपी खाते से अदा किया जाता है । आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से घाटे की राशि (वसूली-योग्य) पर 19.90 करोड़ रुपए की ब्याज आय को 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त नौमाह की अवधि के लिए निर्धारित कर दिया गया है । 31 दिसंबर, 2018 को नो लियन एजीपी खाता 422.99 करोड़ रुपए तक घाटे (वसूली-योग्य) में है, जिसमें आज तक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से हडको द्वारा अदा की गई राशि और ब्याज शामिल है ।
9	कंपनी ने 1 जुलाई, 2019 से इसकी सार्वजनिक जमा योजना के अंतर्गत सार्वजनिक जमा के स्वीकरण/नवीकरण को रद्द करने का निर्णय लिया है ।
10	एनएचबी ने दिनांक 13 जुलाई 2018 के अपने पत्र के माध्यम से हडको को मार्च 2023 तक सरकारी/सार्वजनिक एजेंसियों और राज्य सरकार (सामूहिक सीमा के अंतर्गत) की अधिकतम सीमा को क्रमश: 50% तथा 100% तक कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की सलाह दी है ।
11	कंपनी द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 सी के अंतर्गत और आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत व्यवस्थित तथा सृजित विशेष संचय पर आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल) बनाई जा रही हैं ।
12	कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के विवरण तथा वित्तीय परिणामों के प्रकटन से संबंधित प्रकटन अनिवार्यताओं के संबंध में, दिनांक 5 जुलाई, 2016 को सेबी के परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/एफएसी/2016 के माध्यम से प्राप्त छूट का लाभ उठाया है । तदनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के विवरण तथा वित्तीय परिणामों को प्रकट नहीं किया गया हैं।
13	हडको में 31 दिसंबर, 2018 तक निवेशकों की कोई शिकायत लंबित नहीं थी ।
14	31 दिसंबर, 2018 को समाप्त तिमाही के दौरान, अपवादात्मक या असामान्य मदों में कोई लेनदेन नहीं हुआ ।
15	संगत अवधि के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुन: वर्गीकृत कर दिया गया है ।

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

स्थान - नई दिल्ली **डॉ. एम रविकांत**

दिनांक - 21 जनवरी, 2019 **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**